तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1823/2022/सवाईमाधोपुर** **कैलाश बनाम कलावती**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री शैलेन्द्र राणा, अभिभाषक प्रार्थी

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 10–6–2022

हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अनतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 5/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21–2–2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है ।

2– आलोच्य आदेश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील दर्ज कर रिकार्ड तलब कर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी कर पत्रावली में आगामी तिथि नियत की है ।

3– अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन पर सुनी गई ।

4– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपजिला कलेक्टर, चौथ का बरबाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 18–1–2022 द्वारा स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है । राजस्व अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने से उनके लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा सभी कार्य देखे जा रहे हैं। अतः निगरानी प्रभावहीन होने से चलने योग्य नहीं है । प्रार्थीगण राजस्व अपील प्राधिकारी का पद खाली होने से लिंक अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी अपील व स्थगन की सुनवाई कराये जाने के लिए स्वतंत्र है । प्रकरण रास्ते से संबंधित है एवं वर्तमान में खेत की जुताई हो रही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विधिविरूद्व तरीके से आदेश पारित कराने पर आमादा है। अतः प्रार्थी की निगरानी चलने योग्य नहीं होने से प्रभावहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी की निगरानी एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जावे ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1823/2022/सवाईमाधोपुर कैलाश बनाम कलावती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी खसरा संख्या 567 में आने जाने के लिए प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 546 एवं 554 में नया सुविधाजनक मार्ग खुलवाये जाने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जिसे मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18—1—22 से स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपील को दर्ज कर आगामी पेशी दी गई एवं पीठासीन अधिकारी के फरवरी में सेवानिवृत्त होने से उक्त पद आज दिनांक तक रिक्त है । इसलिए यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपीलीय न्यायालय में सुनवाई नहीं किए जाने से प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है इसलिए धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर पीठासीन अधिकारी के पदासीन होकर सुनवाई किए जाने तक न्याय हित में निगरानी स्वीकार कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिए जावें। 6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया । 7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 567 में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एक प्रार्थना—पत्र धारा 251 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा नंबर 546 व 554 में रास्ते की मांग की जिसे उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाडा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18—1—22 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी में से कुल 334 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत किया गया जिसकी पालना में अप्रार्थिया द्वारा डीएलसी की दर से मुआवजा राशि जमा कराई जा चुकी है । विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्व प्रथम अपील प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21—2—2022 द्वारा अपील को दर्ज कर रिकार्ड तलब किया है एवं रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी कर पत्रावली में आगामी तारीख नियत की है जो एक अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र में भी यही कथन किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी का पद रिक्त है लेकिन लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर श्रीमान शौकत अली कार्यरत है जो लिंक अधिकारी होने से सभी कार्य देख	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1823/2022/सवाईमाधोपुर कैलाश बनाम कलावती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहे हैं । प्रार्थी के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी चलने योग्य नहीं है एवं प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी लिंक अधिकारी के पास चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है । 8— उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है । चूंकि प्रकरण रास्ते का है एवं आवश्यक प्रकृति का है। अतः न्यायहित में राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर को निर्देश दिए जाते है कि वे प्रार्थी के प्रकरण का यथासंभव 1 माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करें । आदेश की प्रति नियमानुसार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर को भिजवायी जावे । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	